संख्या– 190 / 23–खाद्य0अनु0–ले0अनु0 / 2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग,
उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 01 अप्रैल, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखानुदान के अन्तर्गत 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि हेतु अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक संख्या–3456–के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–240 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 27 मार्च, 2004 के अनुक्रम में (प्रति संलग्न) मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखानुदान अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 तक के लिए अनुदान–25 के लेखाशीर्षक–3456–के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार सम्मुख अंकित धनराशि बचनबद्ध तथा अन्य आवश्यक मानक मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत कुल धनराशि **रूपये 29.13 लाख** (रूपये उन्तीस लाख तेरह हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नही किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण मे व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

5– अबचनबद्ध मदें अथवा समस्त चालू निर्माण कार्य, उपकरण एवं संयत्र का कय तथा वाहन आदि के कय की स्वीकृति पर शासन की सहमति नितान्त आवश्यक है।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशो के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव चोपडा)
सचिव।

संख्या–190(1)/23–खाद्य0अ-नु0–ले0अनु0/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8– सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य, गढ़वाल/कुमायें सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
9– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
10– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
11– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

C:\Negi\Bugdet03-04

शासनादेश संख्या–190 / 23–खाद्य0अनु0–ले0अनु0 / 2004, दिनांक: 05 अप्रैल, 2004 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–25 लेखाशीर्षक–	(धनराशि हजार रू0 में) आयोजनेत्तर
3456–सिविल पूर्ति	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय	
01–वेतन	1500
02–मजदूरी	1
03–महँगाई भत्ता	990
04–यात्रा व्यय	17
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8
06–अन्य भत्ते	233
08–कार्यालय व्यय	33
09–विद्युत देय	27
10–जलकर / जलप्रभार	4
13–टेलीफोन पर व्यय	30
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	13
17–किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	57
योग– (रूपये उन्तीस लाख तेरह हजार मात्र)	2913

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

C:\Negi\Budgt-01-PLG-04-05